

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना

अधिसूचना

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम -बरूही थाना नं० -363 थाना-सहार, जिला-भोजपुर में सार्वजनिक परियोजनार्थ सकड्डी से नासरीगंज तक बिहार राज्य पथ निर्माण के लिए सार्वजनिक व्यय से जमीन लेने की आवश्यकता है ।

अतः यह अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजनार्थ ग्राम -बरूही थाना नं० -363 में भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश कृषि योग्य 0.835 एकड़ के बराबर होता है जिसका खेसरा निम्न प्रकार है :-

अंश खेसरा - 3541,3543, 3544, 3545, 3546, 3552, 3553, 3554,3555,
3556, 3557, 3561,3562, 3563, 3566, 3567,3569,3570, 3573, 3574, 3577,
3578, 3580, 3581,3582, 3583, 3584, 3586, 3588, 3591, 3592, 3593,
3637,3638, 3639, 3670, 3671, 3672, 3674, 3690, 3691, 3692,3693,

चौहद्दी :-

उत्तर - नीज मौजा बरूही थाना नं०- 363

दक्षिण -नीज मौजा बरूही थाना नं०- 363

पूरब - 3692, 3693, 3691, 3690, 3689, 3688, 3687, 3686, 3674, 3672, 3670,
3639, 3638, 3637, 3593, 3592, 3591, 3588,

पश्चिम - 3541, 3543, 3544, 3545, 3546, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557,
3561, 3562, 3563, 3566, 3567, 3569, 3570, 3573, 3574, 3577, 3578, 3580,
3581, 3582, 3583, 3584


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम 1 - 1894 की धारा-4 के उपबंधो के अधीन जैसा कि भू अर्जन बिहार संशोधन अधिनियम की धारा 11 सन् 1960 (II) के द्वारा संशोधित हुआ है, उन सभी व्यक्तियों को जारी किया जाता है जिससे इसका संबंध है । भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है । उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार

CB

- सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को देखते हुए अधिनियम की धारा 5 (7) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-

सरकार के अवर सचिव।


समाहर्ता,
भोजपुर, आरा


ज्ञापांक

ज्ञा0 सं0-14/डी0एल0ए0 भोजपुर (रा0उ0प0)-121/12-30/8 पटना-15, दिनांक-21/12/2012
दिनांक

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार पटना को घोषणा प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों आज एवं हिन्दुस्तान में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित सूचना का प्रेस कतरन कृपया समाहर्ता, भोजपुर एवं इस विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय।

प्रतिलिपि :- प्रभारी उपसमाहर्ता जिला गजट शाखा समाहरणालय, भोजपुर को दो प्रतियों में जिला गजट के अगला असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं उसकी दस प्रतियों में इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय भोजपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, भोजपुर आरा/ जिला भू अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर को सूचनार्थ प्रेषित।


अवर सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार, पटना

al